अध्याय - 2
संगठनात्मक ढांचा और कार्यकलाप

संगठनात्मक ढांचा

2.1.1 मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा तीन सोपान में है अर्थात नई दिल्ली स्थित सचिवालय, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और नोएडा में क्षेत्रीय निदेशालय तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कम्पनी पंजीयक के कार्यालय हैं और देश में कार्यरत उच्च न्यायालय से संबद्ध शासकीय परिसमापक हैं। मुख्यालय के संगठन के अंतर्गत दो निदेशक जांच तथा अन्वेषण तथा कर्मचारीवृन्द, अनुसंधान एवं सांख्यिकीय हेतु एक आर्थिक सलाहकार और कानून, लेखांकन, आर्थिक एंव सांख्यकीय मामलों के संबंध में विशेष परामर्श देने वाले अन्य अधिकारी हैं। इस मंत्रालय के मंत्री कार्यालय तथा अधिकारियों के नाम तथा दूरभाष की सूची **अनुबन्ध -1** में दी गई हैं।

2.1.2 मुख्यालय के ढांचे में कम्पनी विधि बोर्ड शामिल है जिसके शीर्ष पर एक अध्यक्ष होते हैं और जिसकी प्रधान खंडपीठ नई दिल्ली में और दक्षिणी क्षेत्र हेतु अपर प्रधान खंडपीठ चेन्नई में है । बोर्ड की 4 क्षेत्रीय खंडपीठ नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई में स्थित है ।

2.1.3 चार क्षेत्रीय निदेशक जो अपने संबंधित क्षेत्रों के प्रभारी हैं, जिनमें कई राज्य और संघ शासित क्षेत्र सम्मिलित हैं, अन्य बातों के साथ-साथ अपने-अपने प्रदेशों में कार्यरत कम्पनी पंजीयकों और शासकीय समापकों के कार्यालयों में होने वाले कामकाज का पर्यवेक्षण करते हैं । वे कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रशासन संबंधी मामलों के संबंध में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच संपर्क भी बनाए रखते हैं । कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की कुछ शक्तियां क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्यायोजित की गई है, जिनका कि वे अपने-अपने प्रदेशों में प्रयोग करते हैं । उनको विभागाध्यक्ष भी घोषित किया गया है और तदनुसार उन्हें उचित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 209क के अधीन कम्पनियों की लेखा बहियों का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय के साथ एक निरीक्षण यूनिट भी है ।

2.1.4 कम्पनी अधिनियम की धारा 609 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त कम्पनी रजिस्ट्रारों का संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कार्य कर रही कम्पनियों के पंजीकरण करने का प्राथमिक कर्तव्य होता है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि ये कंपनिया अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं का पालन भी कर रही हैं। उनके कार्यालय वहां पंजीकृत कंपनियों से संबंधित अभिलेखों की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करते हैं ।

2.1.5 क्षेत्रीय निदेशकों व कम्पनी रजिस्ट्रारों की सूची, उनके पते के साथ, **अनुबन्ध-2** पर दी गई है । मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुबन्ध-3** पर और प्रमुख अधिकारियों की सूची **अनुबन्ध-4** पर दी गई है ।

2.1.6 शासकीय परिसमापक कम्पनी अधिनियम की धारा 448 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं तथा विभिन्न उच्च न्यायालय से संबद्ध हैं । शासकीय परिसमापक क्षेत्रीय निदेशक के प्रशासनिक प्रभार के अन्तर्गत आते हैं जो इनके कार्य का केन्द्र सरकार की ओर से पर्यवेक्षण करते हैं। तथापि, कम्पनियों को बन्द किए जाने के कार्यों में शासकीय परिसमापक उच्च न्यायालयों के निर्देशों के अन्तर्गत आते हैं ।

कम्पनी विधि बोर्ड

2.2 केन्द्र सरकार ने दिनांक 31.5.1991 की अधिसूचना सं.-364 के द्वारा एक स्वतंत्र कम्पनी बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसके पास कुछ ऐसी न्यायिक तथा अर्ध-न्यायिक शक्तियां है जिनका उपयोग

पहले उच्च न्यायालय अथवा केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता था । बोर्ड केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में नहीं है और उसे शक्तियां प्राप्त हैं कि वह अपने स्वयं की पद्धति और विवेक से स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करे । बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में है तथा दक्षिणी राज्यों के लिए चेन्नई में अतिरिक्त मुख्य खंडपीठ है और दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में चार क्षेत्रीय खंडपीठ स्थित हैं ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग

2.3 कम्पनी कार्य मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण भाग एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग(एमआरटीपी आयोग) है जो एक अर्ध-न्यायिक निकाय है । एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 5 के अंतर्गत स्थापित एमआरटीपी आयोग, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है । एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम आयोग का मुख्य कार्य अवरोधक व्यापार व्यवहार के संबंध में जांच करना तथा समुचित कार्रवाई करना है । अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के मामले में आयोग को धारा 10 (ख) के अन्तर्गत ऐसे व्यवहारों, जैसे कि (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा संदर्भित या (2) अपने स्वयं की जानकारी या सूचना पर, की जांच करने की और आगामी कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने की शक्तियां प्राप्त हैं ।

महानिदेशक जाँच एवं पंजीकरण

2.4.1 जाँच एवं पंजीकरण महानिदेशक के कार्यालय की स्थापना वर्ष 1984 में एकाधिकारी, अवरोधक तथा अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने ताकि देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के इसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, के लिए एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के अंतर्गत कुछ सांविधिक कार्यों तथा ड्यूटी को निष्पादित करने के लिए किया गया था । इस अधिनियम में पिछले 37 वर्षों के दौरान समय-समय पर संशोधन किए गए हैं और वर्ष 1984 तथा 1991 में काफी संशोधन किए गए थे । भारत सरकार ने विद्यमान एमआरटीपी अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने के लिए अब "प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002" अधिनिगमित किया है । तथापि, नया अधिनियम भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 20.01.2006 के निर्णय में निदेशानुसार आवश्यक संशोधनों के पश्चात ही लागू होगा । अद्यतन तिथि तक एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के प्रावधान प्रचलन में हैं और यह कार्यालय अधिनियम में विहित अपने सांविधिक कार्यों तथा ड्यूटी को निष्पादित करने को जारी रखे हुआ है ।

2.4.2 जाँच एंव पंजीकरण महानिदेशक के कार्य

जाँच -

(क) अधिनियम की धारा 11 तथा 36सी के अंतर्गत प्रारम्भिक जाँच करना और एमआरटीपी आयोग के विचार हेतु प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ख) अवरोधक, एकाधिकारी तथा अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं की स्वतः प्रारम्भिक जाँच करना और जहाँ ऐसी जाँच के आधार पर उपयुक्त हो धारा 10(क)(3), 10(ख) तथा 36ख(ग) के अंतर्गत आयोग के समक्ष आवेदन दायर करना;

(ग) आयोग के निदेशानुसार किसी भी व्यापार प्रक्रिया जोकि एकाधिकारी, अवरोधक अथवा अनैतिक व्यापार प्रक्रिया होती हो अथवा उसमें योगदान देती हो, का अध्ययन करना, जाँच करना तथा उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

पंजीकरण -

(क) अधिनियम की धारा 33(1) के अंतर्गत आने वाली अवरोधक व्यापार प्रक्रियाओं से संबंधित धारा 35 के अंतर्गत समझौते प्राप्त करना;

(ख) निर्धारित प्रारूप में समझौतों का एक रजिस्टर रखना और उसमें पंजीकरण के अधीन समझौतों के ब्यौरों की प्रविष्टियां करना (धारा 36(1));

(ग) एमआरटीपी आयोग के निदेशानुसार प्रविष्टि करने के लिए रजिस्टर के एक विशेष खंड को बनाना (धारा 36(2) तथा (3));

(घ) अवरोधक व्यापार प्रक्रियाओं से संबंधित निबंधन एवं शर्तों वाले समझौतों के पंजीकरण से संबंधित धारा 35 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन हेतु धारा 48 के अंतर्गत अभियोजन हेतु कार्रवाई प्रारम्भ करना;

(ङ) जनता को समझौतों के रजिस्टर को जाँच हेतु प्रस्तुत करना और विधिवत प्रमाणित सार की एक प्रति मुहैया करवाना (धारा 35);

(च) समझौतों के पक्षों से जहाँ कहीं आवश्यक हो और जानकारी मंगवाना जोकि पंजीकरण के अधीन होगी (धारा 42);

(ज) अवरोधक व्यापार प्रक्रियाओं से संबंधित खण्डों को समाविष्ट करने वाले समझौतों अथवा महानिदेशक (आई एण्ड आर) के संज्ञान में आने वाली किसी अन्य सूचना के आधार पर उत्पन्न होने वाली अवरोधक व्यापार प्रक्रियाओं में जाँच हेतु एमआरटीपी आयोग के समक्ष धारा 10(क)(3) के अंतर्गत आवेदन दायर करना;

(झ) आयोग द्वारा अवरोधक अथवा अनैतिक व्यापार प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, के संबंध में पारित प्रत्येक आदेश को विहित तरीके से रिकार्ड करना (धारा 19) ।

उपभोक्ता सुरक्षा -

(क) उपभोक्ता संस्थाओं, व्यक्तियों आदि से अवरोधक, अनैतिक तथा एकाधिकारी व्यापार प्रक्रियाओं के प्रति शिकायतें प्राप्त करना और शिकायतों के समाधान हेतु उस पर आवश्यक कार्रवाई करना ;

(ख) उपभोक्ता सुरक्षा से संबद्ध उपभोक्ता संस्थाओं और अन्य निकायों को अवरोधक, एकाधिकारी तथा अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं के प्रति उपभोक्ता बचाव हेतु एमआरटीपी अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में शिक्षित करना ।

जाँच का अभियोजन -

(क) जनहित के रक्षक के तौर पर एमआरटीपी आयोग के समक्ष एकाधिकारी, अवरोधक तथा अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं के विरूद्ध जाँच में सभी कार्यवाही को करना;

(ख) आयोग के आदेशों के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत दायर सभी अपीलों पर मुकदमा लड़ना;

(ग) अवरोधक, एकाधिकारी तथा अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं के विरूद्ध जनहित की रक्षा के लिए देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर रिट याचिकाओं पर मुकदमा लड़ना और आयोग के आदेशों का बचाव करना ।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

2.5.1 प्रतिस्पर्धा अधिनियम की जाँच करने तथा संयोजनों को नियंत्रित करने से संबंधित धाराओं को अभी सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है । तथापि, अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली कुछ रिट याचिकाओं को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार हेतु उठाया गया था । प्रमुख रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक में अधिनियम में कुछ संशोधन लाकर इसे संसद में पेश किया गया था । संसद ने संशोधन विधेयक को वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित कर दिया था । 14वीं लोकसभा

की वित्त पर संसदीय स्थायी समिति (2006-07) ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2006 पर अपनी रिपोर्ट 12.12.2006 को प्रस्तुत कर दी थी । समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

2.5.2 चूंकि अभी तक संबंधित धाराओं को अधिसूचित नहीं किया गया है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जोकि वर्तमान में केवल एक सदस्य के साथ कार्य कर रहा है, उसने पूर्णतः कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है इसलिए प्रवर्तन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अर्थात प्रतिस्पर्द्धा विरोधी समझौतों अथवा प्रभुत्व के दुरूपयोग तथा संयोजनों के नियंत्रण पर जाँच प्रारम्भ नहीं की गई है । तथापि, आयोग ने निम्नलिखित पर गहन कार्य किया है -

i) प्रतिस्पर्द्धा परामर्श, प्रतिस्पर्द्धा मुद्दों पर जनता के मध्य जागरूकता तथा प्रशिक्षण,

ii) व्यावसायिक आधारभूत कार्य और

iii) क्षमतावर्द्धन तथा निगमित सेवाएं ।

2.5.3 प्रतिस्पर्धा आयोग केन्द्र सरकार के संबंध में प्रतिस्पर्धा परामर्शी कार्य कर रहा है जिसमें कई मंत्रालयों तथा अन्य सरकारी संगठनों को प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया जाना शामिल है । योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रतिस्पर्द्धा नीति पर श्री विनोद ढाल, सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया है । कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दी है । आयोग ने कई विषयों पर परामर्शी साहित्य तैयार किया है और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की है । कार्यशालाओं की उक्त श्रृंखला का उद्घाटन माननीय कम्पनी कार्य मंत्री श्री प्रेम चन्द गुप्ता द्वारा 17 नवम्बर, 2006 को किया गया था ।

2.5.4 आयोग ने डॉ. विजय एल.केलकर की अध्यक्षता में बाजार अध्ययन/अनुसंधान परियोजनाओं पर परामर्शी समिति गठित की है जो आयोग को निम्नलिखित पर परामर्श तथा मार्ग-दर्शन देती है -

(1) बाजार अध्ययन/अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र/मानदण्डों को परिभाषित करना;

(2) उपयुक्त अनुसंधान संस्थान/अनुसंधानकर्ता की पहचान तथा चयन;

(3) अध्ययन/अनुसंधान हेतु देय विचार का निर्धारण;

(4) अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का आंकलन तथा मूल्यांकन और

(5) इन अध्ययन परियोजना के प्रासंगिक तथा सहायक मामलों पर परामर्श देना ।

2.5.5 आयोग विशेषज्ञों/व्यावसायिकों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श करता है । क्रियाकलापों के चयनित क्षेत्रों हेतु विशेषज्ञों/व्यावसायिकों वाली कई समितियां गठित की गई हैं । ये समितियां जब और जहाँ आवश्यक हो बैठक करती हैं । निम्नलिखित समितियां गठित की गई हैं -

- प्रतिस्पर्द्धा परामर्श पर परामर्शी समिति;
- विनियमनों पर परामर्शी समिति;
- आर्थिक सूचना पर परामर्शी समिति;
- अधिक मूल्य निर्धारण तथा लागतों के निर्धारण पर परामर्शी समिति;
- अनुसंधान परियोजनाओं/अध्ययनों पर परामर्शी समिति;
- शैक्षिक पाठ्यक्रम पर परामर्शी समिति; और
- अवसंरचनात्मक ढांचे पर परामर्शी समिति ।

विनिवेश सेल

2.6 विनिवेश सेल साधारणतया कंपनी विधि के दृष्टिकोण से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से विनिवेश से संबंधित प्रस्तावों / मामलों की जांच करता है तथा विनिवेश विभाग या संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा इसको भेजे गए इस प्रकार के प्रस्तावों / मामलों पर टिप्पणियां देता है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उपरोक्त विषय

पर कैबिनेट नोट, अंर्तमंत्रालय समूह (आईएमजी) और सचिवों की समिति (सीओएस) शामिल हैं।

राष्ट्रीय कम्पनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी)/ राष्ट्रीय कम्पनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी)

2.7 एनसीएलटी/एनसीएलएटी से संबंधित संस्थागत ढांचा कंपनी (द्वितीय) संशोधन, 2002 में प्रदान किया गया था । एनसीएलटी के ढांचे का प्रस्ताव परिसमापन तथा समाप्त करने, समामेलन तथा मिलान के संबंध में वर्तमान में कम्पनी विधि बोर्ड, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनरूद्धार बोर्ड (बीआईएफआर) और उच्च न्यायालयों द्वारा किए जा रहे कार्यो का निष्पादन तथा शक्तियों का प्रयोग करना था । तथापि, एनसीएलटी /एनसीएलएटी के गठन को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसने अपना निर्णय अप्रैल, 2004 में दिया । तत्पशचात केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी जहाँ वर्तमान में मामला विचाराधीन है । परिणामस्वरूप एनसाएलटी/एनसीएएलटी को अभी गठित नहीं किया गया है ।